झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक– 151 दिनांक 25.01.2012 एवं पत्रांक– 640 दिनांक 07.08.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक– 6059 दिनांक 08.05.2012,
3. आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान ।

डॉ0 अनवर हुसैन (निलंबित) कोटि क्रमांक– 767/03, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कर्रो, देवघर (सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, दुमका) उपायुक्त, देवघर का पत्रांक– 151 दिनांक 25.01.2012 द्वारा प्रपत्र– 'क' गठित किया गया।

डॉ0 हुसैन द्वारा ध्रुम रहित चूल्हा, मार्बल प्लेट क्रय करने के पूर्व कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई और न ही कोई कोटेशन प्राप्त किया गया। घुम्ररहित चूल्हा एवं नोडल प्लेट क्रय जिस एजेन्सी/फर्म से किया गया उसका न तो निबंधन था और न ही Tin No, साथ ही क्रय की गई सामग्रियों का वितरण लाभुकों के बीच न कर भंडार में ही रखा गया। कुल 2,02,300.00 रूपये सरकारी राशि का अनियमित व्यय हुआ, जिसका लाभ लाभुकों को नहीं मिला।

उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित प्रपत्र– 'क' पर विभागीय पत्रांक– 6059 दिनांक 08.05.2012 द्वारा डॉ0 हुसैन से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण का उत्तर डॉ0 हुसैन का पत्रांक– शून्य दिनांक 21.05.2012 से प्राप्त हुआ। प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, देवघर से मंतव्य मांगा गया। उपायुक्त ने श्री हुसैन के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक करार दिया है।

डॉ0 हुसैन से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, देवघर का मंतव्य एवं अन्य अभिलेखों के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा डॉ0 हुसैन के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः–

''दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक;''

कृ0पृ0उ0..2

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति डा0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक— 2ए / आरोप—1—96 / 2012 का॰—11209 / राँची, दिनांक —01 सितम्बर, 2012 अक्टूबर

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 50 (पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / —
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक— 2ए / आरोप—1—96 / 2012 का॰—11209 / राँची, दिनांक —01 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि— राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका / उपायुक्त, देवघर / उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री डा0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त कार्यालय ~~संथाल परगना~~ प्रमण्डल, ~~दुमका~~ / विभागीय प्रशाखा—2 एवं 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।